संख्या– 3269/26–3–2010–01(08)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर, 2010

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2113/स0क0/शिक्षा, दिनांक 25–8–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या– बी–1– 951/दस–2010– 231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0198.0496 करोड़ के सापेक्ष वित्त विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26–3–2010 में दिये गये निर्देशों के क्रम में रू0 25.9236/– करोड़ (रूपये पचीस करोड़ बानबे लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/ डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/ उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(2) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 का कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1– 951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(3) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिए उक्त योजना हेतु वर्ष 2009–2010 की लम्बित देयता के निस्तारण के लिए जनपदवार आवंटन किया जायेगा। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) अवशेष धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजते समय वर्ष 2009–10 में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र एवं वर्ष 2010–2011 में अवमुक्त की जा रही/की गयी उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80–लेखाशीर्षक–2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनेत्तर– 200– अन्य कार्यक्रम–07–आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गो (सामान्य) के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति–21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन–के अंतर्गत करायी गयी धन व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–ई–3–1586/दस–2010, दिनांक 07 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3269 (1)/26–3–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4–वित्त(व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5–राज्य योजना आयोग–1/2
6–सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7–निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ।
8–गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव